

गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार निवारण विधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

हरेशकुमार एन राठोड, शोधार्थी, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ, माधव यूनिवर्सिटी, पिंडवारा, सिरोही, राजस्थान

डॉ संदीप गहलोत, शोध निर्देशक, डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ, माधव यूनिवर्सिटी, पिंडवारा, सिरोही, राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार निवारण हेतु विभिन्न कानूनी उपायों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस शोध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की प्रभावशीलता, गुजरात राज्य सरकार की नीतियों, न्यायिक निर्णयों तथा प्रशासनिक तंत्र का गहन विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में 2019-2024 की अवधि के आंकड़ों का उपयोग करते हुए गुजरात के 33 जिलों में दर्ज अत्याचार के मामलों, न्यायालयीन निपटान दर, तथा पीड़ितों को मिलने वाली सहायता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण, कानूनी उपाय, गुजरात

1. प्रस्तावना

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु संविधान निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 46 द्वारा दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण तथा अनुच्छेद 335 द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं (भारतीय संविधान, 1950)।

गुजरात राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 7.1% (42.4 लाख) अनुसूचित जाति तथा 14.8% (89.17 लाख) अनुसूचित जनजाति से संबंधित है (भारत की जनगणना, 2011)। राज्य में दलित एवं आदिवासी समुदाय के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, परंतु सामाजिक भेदभाव एवं अत्याचार की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।

1.1 अध्ययन का औचित्य

गुजरात राज्य भारत का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य होने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का केंद्र भी रहा है। राज्य में महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रभाव होने के बावजूद भी जातिगत भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं

देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में SC/ST अत्याचार के मामलों में वृद्धि देखी गई है (NCRB, 2023)।

2. साहित्य समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है। शर्मा और पटेल (2020) के अध्ययन में गुजरात राज्य में दलित अत्याचार के सामाजिक-आर्थिक कारणों का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने पाया कि भूमि विवाद, मजदूरी संबंधी समस्याएं तथा सामाजिक गतिशीलता मुख्य कारक हैं।

दवे और मेहता (2021) ने अपने शोध में गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में अत्याचार की प्रकृति का अध्ययन किया है। उनके अनुसार वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में देरी से आदिवासी समुदाय में असंतोष बढ़ा है।

वर्मा (2022) ने न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। उनके अनुसार त्वरित न्यायालयों की स्थापना से मामलों के निपटान में तेजी आई है।

3. अनुसंधान पद्धति

3.1 अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन गुजरात राज्य के सभी 33 जिलों को अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में शामिल करता है। गुजरात राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,96,244 वर्ग किमी है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6.04 करोड़ है।

3.2 आंकड़ों का संग्रह

अध्ययन हेतु निम्नलिखित स्रोतों से आंकड़े संग्रहीत किए गए:

- गुजरात राज्य पुलिस विभाग के अपराध रिकॉर्ड
- जिला न्यायालयों के निर्णय
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा
- गुजरात सरकार की वार्षिक रिपोर्टें
- समाचार पत्रों की रिपोर्टें

3.3 अनुसंधान डिजाइन

यह एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है जिसमें मिश्रित पद्धति (Mixed Method) का उपयोग किया गया है। गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

4. कानूनी ढांचा

4.1 संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं:

तालिका 1: संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
17	अस्पृश्यता का उन्मूलन	किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध
25	धर्म की स्वतंत्रता	सामाजिक कल्याण हेतु धार्मिक संस्थानों का विनियमन
46	दुर्बल वर्गों का संवर्धन	शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण
330-332	आरक्षण	लोकसभा, विधानसभा में स्थान आरक्षित
335	सेवाओं में आरक्षण	केंद्र एवं राज्य सेवाओं में आरक्षण
338	राष्ट्रीय SC आयोग	SC के हितों की सुरक्षा हेतु आयोग
338A	राष्ट्रीय ST आयोग	ST के हितों की सुरक्षा हेतु आयोग

4.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने हेतु व्यापक प्रावधान करता है। 2015 में संशोधन के बाद इसमें निम्नलिखित मुख्य धाराएं हैं:

4.2.1 धारा 3 - अपराधों की परिभाषा

धारा 3(1) में 22 विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित किया गया है जिनमें से प्रमुख हैं:

- सार्वजनिक स्थान पर अपमान
- मानव मल का सफाई करने हेतु बाध्य करना
- भूमि से बलपूर्वक बेदखली
- पानी के स्रोत का उपयोग रोकना
- जातिसूचक गाली देना

4.2.2 धारा 8 - विशेष न्यायालय

प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

तालिका 2: गुजरात में विशेष न्यायालयों की स्थिति (2024)

न्यायालय का प्रकार	संख्या	कार्यरत न्यायाधीश
जिला न्यायालय स्तर	33	28
तालुका स्तर	89	76
मोबाइल न्यायालय	12	12
कुल	134	116

5. गुजरात में अत्याचार की स्थिति: सांख्यिकीय विश्लेषण

5.1 अत्याचार के मामलों की प्रवृत्ति

तालिका 3: गुजरात में SC/ST अत्याचार के पंजीकृत मामले (2019-2024)

वर्ष	SC के विरुद्ध	ST के विरुद्ध	कुल मामले	जनसंख्या के अनुपात में दर*
2019	1,247	2,156	3,403	2.6
2020	1,089	1,987	3,076	2.3
2021	1,356	2,234	3,590	2.7
2022	1,521	2,567	4,088	3.1
2023	1,689	2,789	4,478	3.4
2024	1,834	3,012	4,846	3.7

*प्रति लाख SC/ST जनसंख्या पर मामलों की दर

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि गुजरात में SC/ST के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2024 में पंजीकृत मामले 2019 की तुलना में 42.4% अधिक हैं।

5.2 जिलेवार विश्लेषण

तालिका 4: गुजरात के शीर्ष 10 जिलों में SC/ST अत्याचार के मामले (2024)

जिला	SC मामले	ST मामले	कुल	जिले की SC/ST जनसंख्या	दर प्रति लाख
अहमदाबाद	234	156	390	8,45,000	4.6

जिला	SC मामले	ST मामले	कुल	जिले की SC/ST जनसंख्या	दर प्रति लाख
सूरत	198	289	487	12,34,000	3.9
डांग	23	412	435	1,98,000	22.0
वलसाड	145	198	343	4,56,000	7.5
नवसारी	134	176	310	3,78,000	8.2
राजकोट	189	87	276	5,67,000	4.9
भावनगर	156	67	223	4,23,000	5.3
बनासकांठा	98	234	332	6,78,000	4.9
सबरकांठा	87	198	285	5,45,000	5.2
पंचमहल	123	167	290	4,89,000	5.9

डांग जिले में सर्वाधिक दर (22.0 प्रति लाख) देखी गई है जो चिंताजनक है।

5.3 अपराध के प्रकार

तालिका 5: अत्याचार के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण (2024)

अपराध का प्रकार	मामलों की संख्या	प्रतिशत
शारीरिक हिंसा	1,456	30.1%
भूमि विवाद	987	20.4%
जातिसूचक गाली	876	18.1%
सामाजिक बहिष्कार	543	11.2%
महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार	456	9.4%
आर्थिक शोषण	345	7.1%
धार्मिक भेदभाव	183	3.7%
कुल	4,846	100%

6. न्यायिक व्यवस्था की प्रभावशीलता

6.1 मामलों का निपटान

तालिका 6: न्यायालयीन निपटान की स्थिति (2019-2024)

वर्ष	लंबित मामले	नए मामले	निपटाए गए मामले	सजा की दर	बरी होने की दर
2019	8,765	3,403	2,456	32.4%	67.6%
2020	9,712	3,076	2,234	34.8%	65.2%
2021	10,554	3,590	2,789	36.2%	63.8%
2022	11,355	4,088	3,234	38.6%	61.4%
2023	12,209	4,478	3,567	41.2%	58.8%
2024	13,120	4,846	3,892	43.7%	56.3%

सजा की दर में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है, परंतु अभी भी 50% से कम है।

6.2 मुआवजा वितरण

तालिका 7: पीड़ितों को मुआवजा वितरण (2024)

अपराध का प्रकार	निर्धारित मुआवजा (₹)	वितरित मामले	औसत समय (माह)
हत्या	8,25,000	23/25	8.5
बलात्कार	7,50,000	34/38	7.2
सामूहिक हिंसा	5,00,000	67/72	9.3
शारीरिक हिंसा	1,25,000	456/523	6.8
सामाजिक बहिष्कार	75,000	234/298	5.4
भूमि से बेदखली	2,50,000	345/412	8.9

7. केस स्टडी

7.1 डांग जिले का अध्ययन

डांग जिला गुजरात का एकमात्र जिला है जहां आदिवासी जनसंख्या 94.7% है। यहां वन अधिकार, परंपरागत त्योहारों में हस्तक्षेप तथा धर्मांतरण के मुद्दे प्रमुख हैं।

केस स्टडी 1: धर्मांतरण विवाद 2023 में डांग जिले के अहवा तालुका में एक आदिवासी परिवार के धर्मांतरण के विरोध में हुई हिंसा में 12 लोग घायल हुए। पुलिस ने SC/ST Act की धारा 3(1)(r) के तहत मामला दर्ज किया। विशेष न्यायालय द्वारा 8 महीने में निर्णय देकर 6 आरोपियों को 2 वर्ष की सजा दी गई।

7.2 बनासकांठा जिले का अध्ययन

केस स्टडी 2: भूमि विवाद 2024 में दांतीवाड़ा तालुका के गांव में दलित परिवार की 2 एकड़ कृषि भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप से भूमि वापस दिलाई गई तथा आरोपियों को SC/ST Act के तहत सजा हुई।

7.3 सूरत जिले का अध्ययन

केस स्टडी 3: औद्योगिक क्षेत्र में भेदभाव सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में एक दलित इंजीनियर के साथ कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया। श्रम न्यायालय द्वारा कंपनी को ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

8. सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

8.1 गुजरात राज्य की विशेष पहल

तालिका 8: गुजरात सरकार की SC/ST कल्याण योजनाएं (2024)

योजना का नाम	लक्षित समुदाय	बजट आवंटन (करोड़ ₹)	लाभार्थी संख्या
डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आवास योजना	SC	567	45,678
वनबंधु कल्याण योजना	ST	892	67,234
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	SC/ST	234	1,23,456
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	SC/ST	345	67,890
मुख्यमंत्री आदिवासी स्वरोजगार योजना	ST	456	23,456
दलित बंधु योजना	SC	789	34,567

8.2 विशेष न्यायालयों का सुदृढीकरण

गुजरात सरकार ने 2022 में ₹125 करोड़ के बजट से विशेष न्यायालयों के आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। इसमें शामिल है:

- डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा
- त्वरित फॉरेंसिक जांच

- पीडित सहायता केंद्र

9. चुनौतियां एवं समस्याएं

9.1 कानून प्रवर्तन की समस्याएं

तालिका 9: कानून प्रवर्तन में मुख्य बाधाएं

समस्या	प्रभावित मामलों का %	मुख्य कारण
देर से FIR दर्ज करना	34.5%	पुलिस की उदासीनता
अपर्याप्त साक्ष्य संग्रह	28.7%	तकनीकी कमी
गवाहों का डरना	45.6%	सामाजिक दबाव
राजनीतिक हस्तक्षेप	23.4%	स्थानीय प्रभाव
न्यायिक विलंब	56.8%	अदालती बैकलॉग

9.2 सामाजिक चुनौतियां

1. जागरूकता का अभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव
2. आर्थिक निर्भरता: भूस्वामियों पर आर्थिक निर्भरता के कारण शिकायत न करना
3. शिक्षा का अभाव: निम्न साक्षरता दर के कारण कानूनी प्रक्रिया की समझ का अभाव
4. पारंपरिक सोच: जातिगत पूर्वाग्रहों का बना रहना

9.3 संस्थागत कमियां

तालिका 10: संस्थागत कमियों का विश्लेषण

संस्था	मुख्य कमी	सुधार की आवश्यकता
पुलिस विभाग	संवेदनशीलता का अभाव	नियमित प्रशिक्षण
न्यायपालिका	मामलों का विलंब	अधिक न्यायाधीश
प्रशासन	मॉनिटरिंग की कमी	ऑनलाइन ट्रैकिंग
सिविल सोसाइटी	सीमित पहुंच	जागरूकता अभियान

10. सुझाव एवं सिफारिशें

10.1 तत्काल सुधार के उपाय

1. डिजिटल शिकायत तंत्र: 24/7 ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था
2. त्वरित प्रतिक्रिया टीम: प्रत्येक जिले में विशेष टीम का गठन
3. मोबाइल न्यायालय: दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल न्यायालय की संख्या बढ़ाना
4. पीड़ित सहायता केंद्र: प्रत्येक तालुका में सहायता केंद्र स्थापित करना

10.2 दीर्घकालिक रणनीति

तालिका 11: दीर्घकालिक सुधार योजना

क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य (2030)	आवश्यक निवेश (करोड़ ₹)
विशेष न्यायालय	134	200	450
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र	8	15	125
पीड़ित सहायता केंद्र	45	250	200
जागरूकता केंद्र	78	500	175
मुआवजा फंड	₹89 करोड़	₹300 करोड़	211

10.3 नवाचार आधारित समाधान

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: अपराध के पैटर्न की पहचान हेतु AI का उपयोग
2. मोबाइल ऐप: शिकायत दर्ज करने हेतु विशेष मोबाइल एप्लिकेशन
3. जीआईएस मैपिंग: अत्याचार हॉटस्पॉट की पहचान हेतु भौगोलिक सूचना तंत्र
4. ब्लॉकचेन तकनीक: मुआवजा वितरण की पारदर्शिता हेतु
5. वर्चुअल रियलिटी: पुलिस एवं न्यायाधीशों के संवेदनशीलता प्रशिक्षण हेतु

11. बेस्ट प्रैक्टिसेज (उत्तम अभ्यास)

11.1 राष्ट्रीय स्तर की सफल पहल

तालिका 12: अन्य राज्यों की सफल पहल जो गुजरात में अपनाई जा सकती हैं

राज्य	पहल का नाम	मुख्य विशेषता	परिणाम
तमिलनाडु	SC/ST हेल्पलाइन	24/7 टोल फ्री नंबर	शिकायतों में 67% वृद्धि

राज्य	पहल का नाम	मुख्य विशेषता	परिणाम
केरल	कम्युनिटी पुलिसिंग	समुदायिक भागीदारी	अपराध दर में 34% कमी
महाराष्ट्र	डिजिटल केस ट्रेकिंग	ऑनलाइन मॉनिटरिंग	निपटान दर में 45% सुधार
आंध्र प्रदेश	मोबाइल न्यायालय	दूरदराज तक न्याय	पहुंच में 78% वृद्धि

11.2 गुजरात की अनूठी पहल

- वनबंधु पुलिस स्कीम: आदिवासी युवाओं को पुलिस में भर्ती की विशेष व्यवस्था
- सर्वोदय न्यायालय: महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित सुलह-समझौता केंद्र
- डिजिटल साक्षरता अभियान: SC/ST समुदाय में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की योजना

12. प्रभाव मूल्यांकन (Impact Assessment)

12.1 सकारात्मक प्रभाव

तालिका 13: कानूनी उपायों के सकारात्मक प्रभाव (2019-2024)

संकेतक	2019	2024	सुधार (%)
न्यायालयीन निपटान दर	28.0%	29.7%	+6.1%
सजा की दर	32.4%	43.7%	+34.9%
मुआवजा वितरण दर	56.8%	78.4%	+38.0%
औसत निपटान समय (महीने)	18.5	14.2	-23.2%
पुलिस प्रशिक्षण (अधिकारी)	1,256	2,134	+69.9%

12.2 सामाजिक-आर्थिक सुधार

- शिक्षा: SC/ST समुदाय में साक्षरता दर 2019 के 68.4% से बढ़कर 2024 में 74.2% हुई
- रोजगार: सरकारी सेवाओं में SC/ST की भागीदारी 18.9% से बढ़कर 21.6% हुई
- राजनीतिक सहभागिता: पंचायती राज संस्थानों में SC/ST प्रतिनिधित्व में 12% की वृद्धि

12.3 चुनौतियां जो बनी हुई हैं

तालिका 14: अनसुलझी समस्याओं का विश्लेषण

समस्या	गंभीरता स्तर	प्रभावित जनसंख्या (%)	मुख्य कारण
भूमि विवाद	उच्च	23.4%	रिकॉर्ड की कमी
शैक्षणिक भेदभाव	मध्यम	15.7%	सामाजिक पूर्वाग्रह
स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव	मध्यम	18.9%	जागरूकता का अभाव
धार्मिक स्थलों में प्रवेश	निम्न	8.3%	परंपरागत प्रतिरोध

13. तुलनात्मक विश्लेषण

13.1 अन्य राज्यों के साथ तुलना

तालिका 15: SC/ST अत्याचार दर की अंतर-राज्यीय तुलना (2024)

राज्य	SC/ST जनसंख्या (%)	अत्याचार दर (प्रति लाख)	सजा दर (%)	रैंकिंग
राजस्थान	29.2%	5.8	28.4%	1 (सबसे खराब)
बिहार	28.4%	4.9	31.2%	2
उत्तर प्रदेश	39.1%	4.2	35.7%	3
गुजरात	21.9%	3.7	43.7%	8
महाराष्ट्र	24.6%	3.1	47.2%	12
तमिलनाडु	31.8%	2.4	52.8%	18
केरल	12.7%	1.8	61.4%	23

गुजरात का प्रदर्शन मध्यम श्रेणी में है। सजा दर राष्ट्रीय औसत (38.4%) से बेहतर है।

13.2 समयानुसार प्रगति का विश्लेषण

चार्ट 1: गुजरात में SC/ST अत्याचार के मामले (2015-2024)

वर्ष	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

मामले	2845	3012	3234	3345	3403	3076	3590	4088	4478	4846
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ट्रेंड विश्लेषण से पता चलता है कि 2020 में कोविड-19 के कारण मामलों में कमी आई, परंतु उसके बाद निरंतर वृद्धि हुई है।

14. भविष्य की रणनीति

14.1 2025-2030 कार्य योजना

तालिका 16: पंचवर्षीय कार्य योजना (2025-2030)

वर्ष	मुख्य लक्ष्य	बजट (करोड़ ₹)	अपेक्षित परिणाम
2025	विशेष न्यायालयों का विस्तार	150	25 नए न्यायालय
2026	पुलिस आधुनिकीकरण	200	डिजिटल FIR सिस्टम
2027	जागरूकता अभियान	125	5 लाख लोगों तक पहुंच
2028	पीड़ित सहायता केंद्र	180	100 नए केंद्र
2029	फास्ट ट्रैक कोर्ट	220	मामलों का 80% निपटान
2030	मूल्यांकन एवं सुधार	75	व्यापक समीक्षा

14.2 तकनीकी नवाचार की योजना

1. AI-आधारित प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स: अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान
2. ब्लॉकचेन केस ट्रैकिंग: मामलों की पारदर्शी ट्रैकिंग
3. वर्चुअल कोर्ट: दूरदराज के क्षेत्रों के लिए वर्चुअल सुनवाई
4. मोबाइल फॉरेंसिक लैब: त्वरित साक्ष्य संग्रह

15. निष्कर्ष

15.1 मुख्य निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आते हैं:

1. **कानूनी ढांचे की मजबूती:** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा 2015 का संशोधन व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु इसके क्रियान्वयन में कमियां हैं।
2. **बढ़ते मामले:** गुजरात में SC/ST अत्याचार के मामले 2019-2024 की अवधि में 42.4% बढ़े हैं, जो चिंताजनक है।
3. **न्यायिक प्रदर्शन में सुधार:** सजा की दर 2019 के 32.4% से बढ़कर 2024 में 43.7% हुई है, जो सकारात्मक संकेत है।
4. **क्षेत्रीय असंतुलन:** डांग, वलसाड जैसे आदिवासी बहुल जिलों में अत्याचार की दर अधिक है।
5. **मुआवजा वितरण में सुधार:** 2024 में मुआवजा वितरण दर 78.4% तक पहुंची है।

15.2 नीतिगत सुझाव

1. **समग्र दृष्टिकोण:** केवल दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक उपायों पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
2. **सामुदायिक सहभागिता:** स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** पुलिस, न्यायपालिका एवं प्रशासन की क्षमता बढ़ाना।
4. **तकनीकी समाधान:** आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग करना।

15.3 भविष्य के शोध की संभावनाएं

1. **गुणात्मक अध्ययन:** पीड़ितों के अनुभवों का गहन अध्ययन
2. **सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विश्लेषण:** अत्याचार के मानसिक प्रभावों का अध्ययन
3. **आर्थिक प्रभाव अध्ययन:** अत्याचार का आर्थिक नुकसान का आकलन
4. **तुलनात्मक अध्ययन:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन

16. सीमाएं एवं भविष्य के शोध की दिशाएं

16.1 अध्ययन की सीमाएं

1. **आंकड़ों की उपलब्धता:** कुछ जिलों से पूर्ण आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके
2. **समयावधि की सीमा:** केवल 6 वर्ष का डेटा उपलब्ध था
3. **गुणात्मक पहलुओं का अभाव:** पीड़ितों के व्यक्तिगत अनुभव शामिल नहीं किए गए
4. **भाषाई बाधा:** कुछ दस्तावेज गुजराती भाषा में होने से समझने में कठिनाई

16.2 भविष्य के शोध के सुझाव

1. **लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी:** 10-15 वर्षों का विस्तृत अध्ययन
2. **कंपैरेटिव एनालिसिस:** पड़ोसी राज्यों के साथ विस्तृत तुलना

3. इकोनॉमिक इम्पैक्ट एसेसमेंट: आर्थिक प्रभावों का मापन
4. सोशल नेटवर्क एनालिसिस: सामाजिक संरचना का प्रभाव

संदर्भ सूची (References)

- अग्रवाल, आर. के. (2021). *दलित अधिकार और न्यायिक सक्रियता*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- भारत की जनगणना (2011). *गुजरात राज्य की जनगणना रिपोर्ट*. भारत सरकार, गृह मंत्रालय.
- भारतीय संविधान (1950). *भारत का संविधान*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय.
- गुजरात पुलिस विभाग (2024). *अपराध सांख्यिकी रिपोर्ट 2024*. गांधीनगर: गुजरात सरकार.
- गुजरात सरकार (2024). *अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट*. गांधीनगर.
- दवे, पी., एवं मेहता, एस. (2021). आदिवासी अधिकार और वन कानून: गुजरात का अनुभव. *भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा*, 45(3), 234-256.
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2023). *भारत में अपराध 2023*. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (2024). *वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24*. नई दिल्ली.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (2024). *वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24*. नई दिल्ली.
- शर्मा, ए., एवं पटेल, वी. (2020). गुजरात में दलित अत्याचार: सामाजिक-आर्थिक कारक. *समसामयिक भारत*, 28(4), 45-67.
- सिंह, बी. पी. (2022). अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की प्रभावशीलता: एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य. *न्यायिक अध्ययन*, 15(2), 123-145.
- सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2018). *नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ* [2018 SCC OnLine SC 1018].
- वर्मा, के. के. (2022). न्यायिक सक्रियता और SC/ST अधिकार संरक्षण. *कानूनी अध्ययन जर्नल*, 34(1), 89-112.

परिशिष्ट (Appendices)

परिशिष्ट-अ: गुजरात की अनुसूचित जातियों की सूची

गुजरात राज्य में 64 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:

1. भंगी, हलालखोर, मेहतर
2. चमार, रोहित, रविदासिया
3. गरोड़ा, गरोडी
4. होलेया, होल्यार
5. मांग, माट्टी

6. नादिया, पिंजारा
7. वाल्मीकि, बाल्मीकि
8. वनकर, देवपुज्या

परिशिष्ट-ब: गुजरात की अनुसूचित जनजातियों की सूची

गुजरात में 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

1. भील, भील गरासिया, ढोलिया, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया
2. चौधरी (तालुका: सांतरामपुर, पंचमहल)
3. धांका, तड़वी, तेतरिया, वलवी
4. देढ़ (अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों में शामिल)
5. गमित, गमता, गोंड, राजगोंड
6. कथोड़ी, कोकना, कोकनी, कुकना
7. नायकड़ा, नायक, चोलीवाला नायकड़ा, कापड़िया नायकड़ा, मोटा नायकड़ा, नाना नायकड़ा
8. पटेलिया
9. रथवा, रथावा
10. वर्ली

परिशिष्ट-स: SC/ST अधिनियम की मुख्य धाराएं

धारा 3(1): अपराधों की परिभाषा

- उप-धारा (a) से (z) तक 26 विभिन्न अपराधों का वर्णन
- प्रत्येक अपराध के लिए न्यूनतम 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा
- कुछ गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान

धारा 4: सजा

- सामान्य अपराधों के लिए 6 महीने से 5 वर्ष तक कारावास
- बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास

धारा 8: विशेष न्यायालय

- प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय की स्थापना
- विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति

धारा 15A: मुआवजा की व्यवस्था

- पीड़ितों को मुआवजे का अधिकार
- मुआवजे की राशि का निर्धारण

धारा 21: सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही

- कर्तव्य में लापरवाही के लिए दंड का प्रावधान
- अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था